कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 121/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-02.04.2025 को **थाना जीयनपुर पुलिस की टीम द्वारा 24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद आला कत्ल कुदाल, मृतक का 01 अदद मोबाइल व 01 अदद आधार कार्ड बरामद** किया गया।

थाना-जीयनपुर

24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए, 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुदाल, मृतक का 01 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद आधार कार्ड बरामद किया गया।

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 01.04.2025 को वादी रामदुलारे पुत्र स्व0 मुन्नर निवासी ग्राम खालिसा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा अपने पुत्र गोरख कुमार के साथ थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कल दिनांक 31.03.2025 की शाम लगभग 07.00 बजे वादी का लडका राकेश पुत्र रामदुलारे उम्र लगभग 27 वर्ष अपने मित्र शैलेश पुत्र अम्बिका ग्राम फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के यहाँ अपनी गाडी नं0 UP 54 AS 2624 से गया था, जहाँ वादी के लडके की शैलेश एवं उसका भाई तथा उसकी माँ एवं दोनों बहनों द्वारा मिलकर रात में ही हत्या दिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 125/2025 धारा 103(1)/3(5) BNS** बनाम 1.शैलेश पुत्र अम्बिका 2. शैलेश का भाई नाम अज्ञात 3. शैलेश की माँ नाम अज्ञात 4. शैलेश की बहन नाम अज्ञात 5. शैलेश की बहन नाम अज्ञात निवासीगण फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 02.04.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह मय द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शैलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को फैजुल्लाह जहिरुल्लाह चट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर के पीछे स्थित प्याज के खेत में झाड-झंखाड के नीचे से कुदाल व मृतक का मोबाइल बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त शैलेष द्वारा पूछताछ में बताया गया कि, वह टाईल्स मार्बल लगाने का कार्य करता है। राकेश पुत्र रामदुलारे ग्राम खालिसा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ हमारा दोस्त है, वह भी हमारे साथ टाईल्स पत्थर का कार्य करता था। एक वर्ष पहले से एक लड़की से मोबाइल पर बात करता था तथा जब कभी भी मैं उससे मिलने अजमतगढ़ बाजार जाता था तो अपने दोस्त राकेश को भी लेकर जाता था। बाद में राकेश चोरी से मेरे मोबाइल से उसका नंबर निकालकर स्वयं उससे बात करने लगा तथा दोनों मिलने भी लगे। मेरे और राकेश के बीच जो भी बातचीत होती थी राकेश द्वारा पूरी बात उस लड़की से बता दिया जाता था। मैं तभी से राकेश को अपने रास्ते से हटाने के बारे मे सोचता रहता था। दो माह पहले मैं गुजरात चला गया था । वहाँ से मैं इसी महीने लगभग 15 दिन पहले वापस घर आया हूं तभी से राकेश को ठिकाने लगाने के बारे मे सोच रहा था । दिनांक 31.03.2025 की शाम को राकेश को मैं अपने घर बुलाया, जब वह हमारे गांव के बाहर स्थित घर पर आ गया तो मैने उसको कहा की आज तुम हमारे इसी मकान पर रूक जाओ क्योकि यहाँ पर कोई और नहीं रहता है। रात में हम दोनो अपने घर के अन्दर एक ही तख्ते पर लेट गये। जब राकेश गहरी नींद मे सो गया तब मैं रात में लगभग 01.00 बजे उठा तथा घर में रखे कुदाल को लेकर उसके सिर पर दो बार जोर से प्रहार कर दिया, जिससे राकेश का सिर फट गया और राकेश की मृत्यु मौके पर ही हो गयी लाश को उसी कमरे में छोडकर मैं बाहर अपने पेड़ के चबूतरे पर आकर बैठ गया और बाद मे घर में ताला बन्द करके इधर उधर घूमने लगा और लाश को बाहर ले जाकर फेक देने के बारे मे सोचता रहा परन्तु हमारी हिम्मत नहीं हुयी मैं काफी डर गया था रात भर मैं बाहर बैठा रहा और सुबह आठ बजे घटना में प्रयुक्त कुदाल को घर के पीछे प्याज के खेत में स्थित झाड-झंखाड में छिपा घर से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. शैलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहिरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद आला कत्ल कुदाल

02. मृतक का एक अदद मोबाइल

03. मृतक का एक अदद आधार कार्ड

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 125/2025 धारा 103(1)/3(5) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 125/2025 धारा 103(1)/3(5) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0अमित कुमार वर्मा थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0जितेन्द्र यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0जयसिंह पटेल थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. का0अवनीश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस